

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक :-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/एसीपी/सी-3/2017/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	देय पे बन्ड	देय पे ग्रेड
1	सेली नाम्मा रोकी	जालोर	20.04.89	20.04.16 27 वर्ष	9300-34800	4800
2	रम्मा उनी	उदयपुर	04.03.89	04.03.16 27 वर्ष	9300-34800	4800
3	प्रेमा सी जी	उदयपुर	25.05.90	25.05.17 27 वर्ष	9300-34800	4800
4	सुमन यादव	जयपुर द्वितीय	06.09.90	06.09.17 27 वर्ष	9300-34800	4800
5	शान्ता बामणिया	डूंगरपुर	12.07.89	12.07.16 27 वर्ष	9300-34800	4800
6	लक्ष्मी डामोर	डूंगरपुर	12.07.89	12.07.16 27 वर्ष	9300-34800	4800
7	श्री लता पी0	टाँक	18.03.89	18.03.16 27 वर्ष	9300-34800	4800
8	एलीयम्मा वर्गिस	जोधपुर	30.12.87	30.12.14 27 वर्ष	9300-34800	4800

नोट:- उक्त कर्मियों में यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 6-2-2018

क्रमांक :-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/एसीपी/सी-3/2017/150

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर/ उदयपुर/ जयपुर-द्वितीय/ डूंगरपुर/ टाँक/ जोधपुर।
2. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बडगाँव, आहोर(जालोर)/ खैरवाडा,मावली(उदयपुर)/ चाकसू(जयपुर-द्वितीय)/ बिछीवाडा(डूंगरपुर)/ टोडारायसिंह(टाँक)/
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय, रातानाडा(जोधपुर)।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर